तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03-4-2018	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थित–** श्री वी.पी. सिंह राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। –––– **निर्णय** यह रेफरेन्स धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली द्वारा प्रकरण संख्या 18/2005 में अनुशंषित कार्यवाही दिनांक 19–01–2006 के अनुसरण में राजस्व मण्डल को अभिशंषित किया गया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी तहसीलदार, हिण्डोन ने धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली को रेफरेन्स प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम श्यामपुर मूंडरी की आराजी खसरा नंबर 19 रकबा 2.07 की किस्म गै0मु0 नदी जमाबंदी संवत 2026–2029 व 2030–2033 में दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि के नवीन खसरा नंबर 33, 40, 41, 46 व 47 रकबा 0.23 हैक्टर बनाकर हाल जमाबंदी संवत 2058–2061 में श्री जगराम, जगपाल पिसरान शिवलाल, नथोली, गंगासहाय पिसरान श्योफूल, श्योफूल पुत्र चतरू, रामकुमार, पुत्र भोरया, मानसिंह, समयसिंह पिसरान हीरा मीना के नाम दर्ज रिकार्ड है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं थी। परन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि की किस्म परिवर्तन कर उक्त आराजी विपक्षी के नाम खातेदारी में दर्ज की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत रेफरेंस स्वीकार कर राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि को **गैरमुमकिन नदी** सिवायचक के रूप में दर्ज करने हेतु यह रेफरेन्स मण्डल को प्रेषित किया है। हमने विद्वान राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में रेफरेन्स	

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि पूर्व में विवादग्रस्त आराजी **गैरमुमकिन नदी** सिवायचक के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उन्होंने कहा कि नदी, नाला, तालाब, अंगोर, गोचर, पायतन आदि किस्म की भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमियां हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2-8-2004 की पालना में उक्त भूमि को दिनांक 15-8-1947 की स्थिति को रेकार्ड अनुसार बहाल किया जाना है। अन्त में उन्होंने विवादित आराजी के संबंध में **विपक्षीगण** के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में किये गये इन्द्राज को निरस्त कर आराजी को राजस्व रेकार्ड में पूर्ववर्ती **गैरमुमकिन नदी** दर्ज करने का निवेदन किया। हमने विद्वान राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2026-2029 ग्राम श्यामपुर डूंगरी का अवलोकन किया गया जिसमें साबिक खसरा नंबर 19 रकबा 2.07 बीघा गैरमुमकिन नदी दर्ज है तथा विशेष नोट में नामांतरकरण संख्या 183 दिनांक 02-5-74 खसरा नंबर 19 मिन रकबा 12 बिस्वा रेगूलाईज सोफूल सरेपाल/चन्दू रामकुमार हीरा पिसरान भोरया मीना अंकित है। उक्त नामांतरकरण की सत्य प्रति भी पत्रावली पर संलग्न है। पश्चातवर्ती नामांतरकरण की भी सत्य प्रतियां संलग्न है। मिलान क्षेत्रफल को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि साबिक खसरा नंबर 19 रकबा 2.07 बीघा के नवीन खसरा नंबर 33, 40, 41, 46 व 47 बनाये गये हैं तथा वर्तमान जमाबंदी संवत 2058-2061 में जगराम जयपाल पिसरान शिवलाल जाति मीना खसरा नंबर 40 रकबा 0.04 किस्म चाही-1, खसरा नबर 33 0.04 किस्म चाही-1 नथोली, गंगासहाय, पिसरान श्योफूल हिस्सा 1/4, श्योफूल पुत्र चतरू हिस्सा 1/4, रामकुमार पुत्र भोरया हिस्सा 1/4, मानसिंह समयसिंह पिसरान हीरा 1/4 हिस्सा बराबर जाति मीना दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा नंबर 41 रकबा 0.03 बारानी-ए, खसरा नंबर 46 रकबा 0.05 चाही-1, खसरा नंबर 47 रकबा 0.08 चाही-1 जिसके संबंध में काश्तकार के कॉलम में कृषि योग्य भूमि अंकित है। इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी की किस्म परिवर्तित कर अप्रार्थीगण का आवंटन किया गया है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार **''गै0मु0 नदी''** किस्म की भूमि ना तो आवंटन/नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (प) निम्न प्रकार हैः– **"4. Land not available for allotment under these rules.-** The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely- (i) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955" इसी प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान निम्न प्रकार हैः– **16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-** Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in- (ii)Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank; प्रश्नगत भूमि पूर्व में **गै0मु0 नदी** की भूमि अंकित होने से उक्त आराजी धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2–8–2004 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये हैंः– All land shown as drainage channels like nalla rivers, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevant act at rules must be amended accordingly. उपरोक्तानुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए। अतः इस प्रकार की स्थिति में **अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली** द्वारा मण्डल को प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में रेफरेन्स	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की भूल नहीं है। रेफरेन्स स्वीकार योग्य पाया जाता है। फलतः उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप रेफरेन्स स्वीकार किया तथा नामांतरकरण संख्या 283 व पश्चावर्ती नामांतरकरण निरस्त किये जाते हैं तथा ग्राम श्यामपुर मूंडरी के साबिक खसरा नंबर 19 रकबा 2.07 बीघा किस्म गै.मु. नदी के नवीन खसरा नंबर 33, 40, 41, 46 व 47 रकबा 0.23 हैक्टर किस्म बारानी–ए व चाही–1 के अप्रार्थीगण के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में किये गये इन्द्राज को आवंटन/नियमन किये गये आदेश की सीमा तक निरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा विवादित भूमि को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2026–20294 के अनुसार वापिस उसके मूल स्वरुप किस्म **"गै0मु0 नदी"** राजकीय भूमि दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	